

कार्यालय उपायुक्त, मण्डी जिला मण्डी हिमाचल प्रदेश।

क्रमांक. मण्डी/डी0एन0/2017-

दिनांक मण्डी

28.08.2020.

कार्यालय आदेश

6

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2020-21 के लिए उपायुक्त कार्यालय के न्यायालय परिसर, मण्डी में निम्नलिखित प्रमाण पत्रों, छपे फार्मों की बिक्री हेतु खुली बोली सहायक आयुक्त, उपायुक्त कार्यालय कक्ष में दिनांक 04.09.2020 को समय प्रातः 11:00 बजे रखी गयी है:-

(1) चरित्र प्रमाण पत्र (2) स्थाई निवासी प्रमाण पत्र (3) आमदन प्रमाण पत्र (4) पिछडा वर्ग प्रमाण पत्र (5) सूचना का अधिकार फार्म (6) जाति प्रमाण पत्र (7) बेरोजगार प्रमाण पत्र (8) वकालतनामा प्रमाण पत्र (9) तलवाना फार्म (10) नकल फार्म (11) मुचल्का फार्म ।

जो इच्छुक व्यक्ति बोली में भाग लेना चाहते हों वह दिनांक 03.09.2020 समय सायं 04:30 बजे तक जिला नाजर के पास धरोहर राशि नकद जमा करवा सकते हैं। उपरोक्त फार्मों के अतिरिक्त सफल बोलीदाता अन्य किसी प्रकार के प्रमाण पत्र बिक्री करता हुआ पाया गया या इस सन्दर्भ में किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होती है तथा जांच उपरांत शिकायत सत्य पाई गयी तो अनुमति तुरंत प्रभाव से रद्द करके धरोहर राशि जब्त की जाएगी।

बोली की निम्न शर्तें होंगी:-

1. जो व्यक्ति बोली में भाग लेना चाहते हों वह दिनांक 03.09.2020 समय सायं 04:30 बजे तक मु0 5,000/- नगद बतौर धरोहर राशि के रूप में जिला नाजर के पास जमा करवाने होंगे, बिना धरोहर राशि के किसी को भी बोली देने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा।
2. सफल बोलीदाता को बोली की कुल राशि बोली के समाप्त होने के तुरन्त बाद जमा करवानी होगी, यदि वह यह राशि जमा नहीं करवाएगा तो धरोहर राशि जब्त समझी जाएगी और सरकारी कोष में जमा करवा दी जाएगी।
3. बोलीदाता को एक शपथ पत्र जो फार्मों की बिक्री से सम्बन्धित होगा एक सप्ताह के अन्दर कार्यालय में जमा करवाना होगा।
4. जिला न्यायालय परिसर, मण्डी में केवल सफल बोलीदाता को प्रत्येक कार्य दिवस को प्रातः 10:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक फार्मों की बिक्री करनी होगी।
5. छपे फार्मों की बिक्री दर इस प्रकार होगी (1) एक पन्ना एक तरफ छपा हुआ 01.00 रू0 में (2) एक पन्ना दोनों ओर से छपा हुआ मु0 02.00 रू0 में (3) दो पन्ने वाला फार्म दोनों तरफ छपा हुआ मु0 03.00 रू0 में।
6. अधोहस्ताक्षरी के पास निविदा स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

पृष्ठांकन संख्या/मण्डी/नाजर/2017 26100-101
प्रतिलिपि सेवा में:-

1. दोनों नोटिस बोर्ड उपायुक्त कार्यालय मण्डी।
2. जिला लोक संपर्क अधिकारी मण्डी बराये चस्पानगी नोटिस बोर्ड।
3. एन0आई0सी0, उपायुक्त कार्यालय मण्डी को बराये व्यापक प्रचार हेतु।

सहायक आयुक्त,

उपायुक्त, जिला मण्डी।

दिनांक मण्डी 28/8/2020

सहायक आयुक्त,

उपायुक्त, जिला मण्डी।